भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 692

जिसका उत्तर 07.12.2023 को दिया जाना है

एनसीएपी का कार्यान्वयन

692. श्री प्रताप राव जाधव:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माने:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या छह प्रतिशत से बढ़कर 4.6 लाख से अधिक हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सवारियों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए टकराव की संभावना को कम करने के लिए चार पहिया वाहनों की कुछ श्रेणियों में एक अंतर्निर्मित टकराव चेतावनी संकेत प्रणाली, मूविंग ऑफ इनफार्मेशन सिस्टम (एमओआईएस) स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी) लागू किया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष "भारत में सड़क दुर्घटनाएं" प्रकाशित करता है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 4,61,312 दर्ज की गई । वर्ष 2020 और 2021 कोविड-19 महामारी से प्रभावित रहे।

भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट, 2022 सड़क दुर्घटनाओं पर निम्नलिखित विवरण देता है:

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या
2001	4,05,637
2002	4,07,497
2003	4,06,726

2004	4,29,910
2005	4,39,255
2006	4,60,920
2007	4,79,216
2008	4,84,704
2009	4,86,384
2010	4,99,628
2011	4,97,686
2012	4,90,383
2013	4,86,476
2014	4,89,400
2015	5,05,770
2016	4,84,756
2017	4,69,242
2018	4,70,403
2019	4,56,959
2020*	3,72,181
2021*	4,12,432
2022	4,61,312

* *कोविड प्रभावित वर्ष*

(ख) और (ग) एआरएआई, पुणे से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने अपनी सिफारिशी तकनीकी समितियों अर्थात केंद्रीय मोटर वाहन नियम-तकनीकी स्थायी समिति (सीएमवीआर-टीएससी) और ऑटोमोटिव उद्योग मानक समिति (एआईएससी) के माध्यम से इस पर विचार किया है, श्रेणी एम2 के वाहनों के लिए मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम (एमओआईएस) पर मानक तैयार करने के लिए काम करें (श्रेणी एम2 का मतलब यात्रियों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन है, जिसमें चालक की सीट के अलावा नौ या अधिक सीटें होती हैं और अधिकतम सकल वाहन पांच टन वजन से अधिक नहीं होता है), एम3 (श्रेणी एम3 का मतलब यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन है, जिसमें ड्राइवर की सीट के अलावा नौ या अधिक सीटें होती हैं और कुल वाहन वजन पांच टन से अधिक होता है), एन2 (श्रेणी एन2 का मतलब यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन है माल की ढुलाई और सकल वाहन वजन 3.5 टन से अधिक लेकिन 12 टन से अधिक नहीं) और एन 3 (श्रेणी एन 3 का मतलब एक मोटर वाहन है जिसका उपयोग माल की ढुलाई के लिए किया जाता है और जिसका सकल वाहन वजन 12 टन से अधिक नहीं है)।

एमओआईएस एक उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली है जो कम गति से चलने वाले ड्राइवरों को आराम से चलने में सहायता करती है जिसमें एम 2, एम 3, एन 2 और एन 3 वाहन श्रेणी के वाहनों और अक्षम सड़क उपयोगकर्ताओं (पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों) के बीच टक्कर शामिल है। एमओआईएस वाहन के निकट-आगे के ब्लाइंड-स्पॉट में पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की उपस्थिति का पता लगाता है

और चालक को सूचित करता है और, यदि निर्माता की रणनीति के आधार पर आवश्यक समझा जाता है, तो संभावित टक्कर के बारे में चालक को चेतावनी देता है।

(घ) और (ड.) मंत्रालय ने सा.का.नि 698(ड.) दिनांक 27 सितंबर, 2023 के माध्यम से भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में केंद्रीय मोटर यान नियम (सीएमवीआर), 1989 में एक नया नियम 126ड. डाला है।

नियम 126ड. के तहत कार मूल्यांकन कार्यक्रम श्रेणी एम1 (श्रेणी एम1 का अर्थ है यात्रियों की परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें नहीं होती हैं), देश निर्मित या आयातित प्रकार के अनुमोदित वाहनों पर 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद लागू होता है। इस नियम की कोई भी बात नियम 126 के तहत छूट प्राप्त वाहन पर लागू नहीं होगी।

बीएनसीएपी एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, जो यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा पेश करता है और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है।

*****